बीएसएफ का एक ही लक्ष्य भारत की सुरक्षा

बीएसएफ के हीरक जयंती समारोह में बोले गृहमंत्री अमित शाह

भुज, 21 नवंबर. केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि भारत की सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का एक ही लक्ष्य रहा है.

श्री शाह ने आज यहां बीएसएफ के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा पिछले छह वर्षों में सीमा सुरक्षा बल ने न केवल देश की जनता, बल्कि पूरे विश्व को यह मानने के लिए मजबूर किया है कि जब तक बीएसएफ है, दुश्मन भारत की एक इंच भूमि पर नजर नहीं डाल सकता. इन जवानों ने वीरता, दक्षता के साथ और प्राणों की भी परवाह किए बगैर, अपने प्राणों की आहूति देकर फर्स्ट रेस्पोंडेंट होने की जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया है, जो देश के गृह मंत्री के तौर पर मेरे लिए बहुत गौरव और अभिमान की बात है.

कच्छ की वीर भूमि अदम्य साहस का प्रतीक

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अब तक सीमा सुरक्षा बल के 2,013 बहादुर जवानों ने देश की सीमाओं को अखंड एवं सुरक्षित रखते हुए अपने प्राणों की सर्वोच्च आहुति दी है. न केवल सीमा-रक्षा में, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के अनेक शांति मिशनों में तथा देश के भीतर उत्पन्न कितनी ही आपात स्थितियों में, चाहे आतंकवाद का मुकाबला करना हो या चाहे नक्सलवाद के उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करना हो, बीएसएफ के जवानों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने सदा कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़कर काम किया है. इसी का परिणाम है कि आज देश की पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाएँ अटल, अडिग और पूर्णत: सुरक्षित हैं. इसका सबसे बड़ा श्रेय बीएसएफ के वीर जवानों को जाता है. उन्होंने कहा कि कच्छ की यह वीर भूमि अदम्य साहस का प्रतीक है .सदियों से प्रतिकूल मौसम और परिस्थितियों के बावजूद कच्छवासियों ने जुझारूपन से इस क्षेत्र को संवारा और विकास की ऊँचाइयों तक पहुँचाया है. सातवें दशक से अब तक हुए हर आक्रमण का सबसे मजबूत प्रतिरोध कच्छ की जनता ने किया है, जिसका साक्षी पूरा देश है. अनेक युद्धों में सेना और बीएसएफ के साथ कदम से कदम मिलाकर कच्छ की जनता ने अभूतपूर्व भूमिका निभाई है.

सीबीआई ने कई जगहों पर की छापेमारी

कोलकाता, 21 नवंबर. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में बैंक धोखाधड़ी मामले में कुछ व्यापारियों की ठिकानों पर छापेमारी की. यह अभियान सरकारी खदानों से कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल और झारखंड में 40 से अधिक स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के बीच चलाया जा रहा है. सीबीआई ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक से जुड़े नौ करोड़ रुपये का घोटाला मामला में हावड़ा और लेक टाउन में चार ठिकानों पर छापेमारी की. छापेमारी हावड़ा के शिबपुर स्थित व्यवसायी अनिल कुमार मिश्रा और उत्तर 24 परगना के लेक टाउन स्थित ओम प्रकाश पांडे की संपत्तियों पर केंद्रित है.

श्रम संहिता आजादी के बाद के प्रगतिशील सुधारों में से एक : मोदी

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार श्रम संहिताओं के लागू होने का स्वागत करते हुए इसे श्रमिकों के लिए आज़ादी के बाद से सबसे बड़े और प्रगतिशील सुधारों में से एक बताया है. श्रम संहिताओं के शुक्रवार से प्रभावी होने के बाद मोदी ने कहा कि ये सुधार श्रमिकों को मजबूती प्रदान करते हैं और कानून के अनुपालन को काफी आसान बनाने के साथ व्यापार सुगमता में बढ़ावा देते हैं. मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा ये चारों संहिता सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा , न्यूनतम और समय पर मज़दूरी और लोगों विशेष रूप से नारी शक्ति तथा युवा शक्ति के लिए फायदेमंद अवसरों की मज़बूत नींव का काम करेंगी.

उन्होंने कहा कि ये सुधार भविष्य के लिए एक इकोसिस्टम बनाएंगे जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और देश की आर्थिक वृद्धि को मज़बूत करेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि इनसे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, उत्पादकता बढेगी और देश की विकसित भारत की ओर बढ़ने की यात्रा में तेजी आयेगी.

मोदी ने पोस्ट में कहा , श्रमेव जयते! आज, हमारी सरकार ने चार लेबर कोड लागू किए हैं. यह आज़ादी के बाद से सबसे बड़े और आगे बढ़ने वाले लेबर-ओरिएंटेड सुधारों में से एक है. यह हमारे वर्कर्स को बहुत मज़बूत बनाता है. यह कम्प्लायंस को भी काफी आसान बनाता है और %ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस% को बढ़ावा देता है.

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि चार श्रम संहिताएं- वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020 आज से प्रभावी होंगी. इनके लागू होने से 29 मौजूदा श्रम कानूनों में बदलाव होगा जिससे श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा मिलेगा .

पाक की फैक्ट्री में गैस रिसाव से धमाका, 15 लोगों की मौत

नई दिल्ली, 21 नवंबर. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शुक्रवार को एक केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया, जहां तड़के सुबह गैस रिसाव से धमाका हो गया.

धमाका इतना भयानक था कि इससे फैक्ट्री में न सिर्फ आग लगी, बल्कि आस-पास की इमारतें भी गिर गईं। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. दरअसल,पंजाब प्रांत में लाहौर से 130 किमी की दूरी पर स्थित फैसलाबाद जिले के मलिकपुर इलाके में सुबह-सुबह एक कैमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव से बड़ा धमाका हुआ। अब तक रेस्क्यू टीमों ने मलबे से 15 लाशें निकाली हैं और सात घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है. डर है कि मलबे के नीचे और लोग हो सकते हैं. रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने में लगी हुई हैं। जिले की पूरी मशीनरी रेस्क्यू के काम में लगी हुई है. मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने केमिकल फैक्ट्री में लोगों की कीमती जानें जाने पर गहरा दुख जताया, दुखी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना और सहानुभूति जताई.

दरभंगा से दिल्ली आ रही स्पाइसजेट की उड़ान में बम की सूचना

नई दिल्ली, 21 नवंबर. बिहार के दरभंगा से दिल्ली आ रही स्पाइसजेट की एक फ्लाइट में बम होने की चेतावनी के बाद यहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को विमान और सभी यात्रियों की गहन जांच की जा रही है. उड़ान संख्या एसजी 752 ने आज दोपहर बाद 2.55 बजे दरभंगा से उड़ान भरी थी और शाम 4-46 बजे दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर उतरी जबकि तय शिड्यूल के मुताबिक विमान को टर्मिनल- पर उतरना था. सूत्रों ने यूनीवार्ता को बताया कि विमान की लैंडिंग से कुछ देर पहले ही किसी ने हवाई अड्डे के कॉल सेंटर पर फोन करके विमान में बम होने की सूचना दी थी.

अमेरिका ने ईरान पर लगाए नए प्रतिबंध

वाशिंगटन, 21 नवंबर. अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नये प्रतिबंधों की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य ईरान के अवैध पेट्रोलियम, शिपिंग और विमानन नेटवर्क को ध्वस्त करना है, जो देश की सेना और क्षेत्रीय छः ताकतों को धन मुहैया कराते हैं.

विदेश एवं वित्त विभागों ने एक समन्वित कार्रवाई में, भारत, पनामा, संयुक्त अरब अमीरात, सेशेल्स और जर्मनी सहित कई देशों की दर्जनों कंपनियों, व्यक्तियों, जहाजों और विमानों पर प्रतिबंध लगाया, जिन पर कथित रूप से तेहरान को प्रतिबंधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने और बेचने में मदद करने का आरोप है. विदेश विभाग ने कहा कि उसने 17 संस्थाओं, व्यक्तियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगाया है जबकि वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने 41 अतिरिक्त लक्ष्यों पर प्रतिबंध लगाया है, जिससे ईरानी राजस्व स्रोतों को रोकने वाले अमेरिका के अभियान में तेजी आई है. वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य ईरानी शासन के परमाणु हथियारों के विकास और आतंकवादी संगठनों को समर्थन के लिए वित्त पोषण को रोकना है.

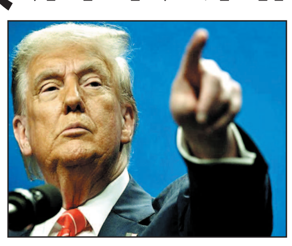

उन्होंने कहा कि ईरान के तेल राजस्व को बाधित करना उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है. विभाग ने कहा कि इजरायल के साथ 12 दिवसीय युद्ध में हार के बाद, ईरान की सेना अपने वार्षिक बजट की पूर्ति तथा अपनी कमजोर सेना के पुनर्निर्माण के लिए ईरानी कच्चे तेल की बिक्री पर ज्यादा निर्भर हो गई है. प्रतिबंध मुख्य रूप से ईरानी सेना की तेल-बिक्री शाखा, सेपेहर एनर्जी जहान नामा पार्स कंपनी पर केंद्रित है. अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि यह समूह मुखौटा कंपनियों का एक वैश्विक जाल और टैंकरों का एक शैडो बेड़ा चलाता है.

आज का इतिहास

1788 : न्यूयॉर्क अमेरिका का 11वां राज्य बना.
1844 : भारत के प्रमुख शिक्षाविद् गुरुदास बनर्जी का जन्म.
1876 : कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना.
1951 : नीदरलैंड ने जर्मनी के साथ युद्ध समाप्त किया.
1956 : मिस्र ने स्वेज नहर पर कब्ज़ा किया.
1965 : मालदीव ब्रिटेन से आजाद हुआ.
2005 : नासा के शटल डिस्कवरी का प्रक्षेपण.
2007 : पाकिस्तान ने परमाणु मिसाइल बाबर हत्फ़-7 का सफल परीक्षण किया.
2013 : पाकिस्तान में बम विस्फोट में 57 लोग मारे गये.

देश ने वीर योद्धा खोया : केजरीवाल

▸ दुबई एयरशो में हुए हादसे पर जताया शोक

नई दिल्ली, 21 नवंबर. दुबई एयरशो में भारतीय वायुसेना के स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है.

इस हादसे में भारतीय वायुसेना के एक बहादुर पायलट की मौत हो गई, जिसके बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर संवेदनाओं का सिलसिला शुरू हो गया है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि भारत ने एक वीर वायु योद्धा को खो दिया है और पूरा देश इस दुखद घटना से स्तब्ध है. केजरीवाल ने अपने संदेश में पायलट के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी इस अपूरणीय क्षति को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता. उन्होंने दुर्घटना के कारणों की त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि पायलटों की सुरक्षा सर्वोपरि है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए. तेजस भारतीय वायुसेना की गौरवशाली शक्ति का प्रतीक है, ऐसे में इस दुर्घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. देश भर से लोग पायलट को श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

केजरीवाल ने गहरा दुख जताया और पायलट के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि तेजस विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना अत्यंत पीड़ादायक है और देश एक वीर वायु योद्धा के निधन पर शोक में डूबा है. उन्होंने कहा कि पायलटों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने दुर्घटना की त्वरित, विस्तृत और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि इस घटना के वास्तविक कारणों को जल्द से जल्द सामने लाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.

सीजेआई गवई कल होंगे रिटायर

नई दिल्ली, 21 नवंबर. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई का शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में उनका आखिरी वर्किंग डे रहा. वे 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे. वे 24 नवंबर को पदभार संभालेंगे. जस्टिस कांत 53वें सीजेआई के तौर पर 14 महीने का कार्यकाल पूरा करेंगे. वे 9 फरवरी, 2027 को रिटायर होंगे.

NAME CHANGE

I, Manojkumar Devare S/O, Ramdas Ragho Devare R/o #703 Block B1 Sarthak Galaxy 2 Rau Indore. Rau Pithampur Road. have changed my name to Manojkumar Ramdas Devare for all purposes.

एलजी के सख्त निर्देश पर दिल्ली की सुरक्षा होगी कड़ी

राजधानी अलर्ट मोड पर, मांगी तीन हफ्ते में रिपोर्ट

सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने का आदेश

नई दिल्ली, 21 नवंबर. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में हुए लाल किले के पास हुए विस्फोट के मद्देनजर राजधानी की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रभावी कदम उठाने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त और मुख्य सचिव को निर्देश जारी किये हैं. उपराज्यपाल सचिवालय की ओर से शुक्रवार को बताया गया कि इस संबंध में पुलिस आयुक्त और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राजधानी की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं. श्री सक्सेना ने पत्र में कहा है कि अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक विस्फोटक पदार्थों की बड़ी मात्रा की खरीद-बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाए. इसके लिए सभी विक्रेताओं और खरीदारों का पूरा डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाए.

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, इंदौर संभाग क्रमांक-02, इंदौर
जी-13, प्रथम 'तल' एम.आई.जी. कॉलोनी, एम.आई.जी. थाने के पीछे, इंदौर (म.प्र.)
मो.नं.: 9425601512, Email : mpphidclindore2@gmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना - 34/2025-26

म.प्र.पु.आ. एवं अधो.वि.नि., इंदौर संभाग क्र.-02, इंदौर द्वारा शासकीय उ.मा.वि. नागदा के पुराने एक कंडम स्कूल भवन एवं लायब्रेरी कक्ष, कम्प्यूटर क्लॉस रूम एवं टायलेट का यथास्थिति ध्वस्तीकरण कार्य एवं ध्वस्तीकरण उपरांत प्राप्त उपयोगी/अनुपयोगी सामग्री तथा मलवा हटाने का कार्य सहित की Lump-Sum निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 26.11.2025 तक** खरीदे जा सकते हैं, जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **https://mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/123141/2025 — **परियोजना यंत्री**

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल मुंबई - 400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552. Contact No. (022) 61827414, (022) 61827375
शाखा कार्यालय : 9/1/1, सुरज भवन, दूसरी मंजिल, यस बैंक के उपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर -452001.

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों के लिये)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के परिशिष्ठ IV सपठित नियम 8(1) के अंतर्गत)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न ऋणी(यों) से नीचे उल्लेखित सूचना प्राप्ति दिनांक से 60 दिन के अंदर ऋण राशि अदा करने की मांग की गई थी। चूंकि ऋणी(यों) ने अदायगी में त्रुटि की है अत: ऋणी(यों) तथा सर्वसाधारण जनता को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त कर लिया है।
ऋणी(यों) को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इन सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें और यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के ऋणी(यों) के समक्ष नीचे दर्शाई गई मांग सूचना दिनांक से ब्याज एवं दण्ड ब्याज, खर्चे, लागत अन्य के अधीन होगा।
ऋणकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋण खाता क्रं.	बाध्यताधारीयों / कानूनी वारिसों / कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	मांग सूचना अनुसार राशि	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक	कब्जे का प्रकार
TCHHL0284000100387493 & TCHIN0284000100387734	श्री आशीष वर्मा (ऋणी), श्रीमती खुशबु वर्मा (सह-ऋणी)	Rs. 15,11,964/- & Rs. 1,12,894/-	03-09-2025 / 18-11-2025	सांकेतिक कब्जा
सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: अचल संपत्ति का संपूर्ण भाग फ्लैट नंबर 202, दूसरी मंजिल, .श्रीजी हाइट्स. ब्लॉक-बी, सर्वे नंबर 322/3 एवं 322/4 गांव भिचोली मर्दाना, तहसील भिचोली हप्सी, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश स्थित, क्षेत्रफल 580 वर्ग फीट यानी (53.90 वर्ग मीटर) चर्तुसीमाएं: पूर्वः इमारत का खुला स्थान, पश्चिम: मार्ग, उत्तर: फ्लैट नंबर 201, दक्षिण: इमारत का खुला स्थान				
9878395 & 9879604	श्री इकरम हुसैन(ऋणी), श्रीमती मोबीना बी हुसैन (सह-ऋणी)	Rs. 3,52,150/- & Rs. 2,47,640/-	09-09-2025 / 17-11-2025	सांकेतिक कब्जा
सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: उस अचल प्रॉपर्टी के सभी भाग एक फ्री होल्ड आवासीय संपत्ति हैं, एवं यह प्लॉट नंबर 98 के पश्चिमी भाग पर बना हुआ मकान है, जिसके प्लॉट का क्षेत्रफल 800.00 वर्गफीट है यह भूमि रेवेन्यू सर्वे नंबर 173/3, पटवारी हल्का नं. 48 (नया नंबर 19), नूर नगर के नाम से ज्ञात,ग्राम: बड़्वाह, तहसील एवं जिला खरगोन म.प्र.स्थित, **चर्तु:सीमा:** पूर्वः प्लॉट नंबर 98 का शेष भाग, पश्चिम में: रोड, उत्तर में: प्लॉट नंबर 99, दक्षिण में: प्लॉट नंबर 97				
TCHIN0284000100223121 & TCHHL0284000100221199	श्री पियुष माहेश्वरी (ऋणी), श्रीमती उमा माहेश्वरी , (सह-ऋणी)	Rs.12,67,393/- & Rs. 57,876/-	09-09-2025 / 17-11-2025	सांकेतिक कब्जा
सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: अचल संपत्ति का संपूर्ण भाग फ्लैट नंबर 602, शांति ग्रीन्स ब्लॉक-बी के छठे फ्लोर पर, गैलेक्सी पार्क के प्लॉट नंबर एम-02 पर निर्मित, असरावद खुर्द जो तहसील एवं जिला इंदौर म.प्र. निर्मित क्षेत्रफल 396 वर्ग फीट यानी (36.84 वर्ग मीटर) **चर्तु:सीमाएं:** पूर्वः फ्लैट नंबर 601, पश्चिम: फ्लैट नंबर 603, उत्तर: लॉबी, दक्षिण: एमओएस				
TCHHL0284000100205863 & TCHHF0284000100206327 & TCHIN0284000100209129	श्री रवीन्द्र कुमार राय(ऋणी), श्रीमती रागनी राय (सह-ऋणी)	Rs.19,17,321/- & Rs. 23,74,228/- & Rs. 84,392/-	09-09-2025 / 19-11-2025	सांकेतिक कब्जा
सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: अचल संपत्ति का संपूर्ण भाग प्लॉट नंबर एस -57 का उत्तरी भाग, कालिंदी गोल्ड सिटी. सेक्टर सफायर, ग्राम भांग्या, तहसील सांवेर, ज़िला इंदौर (म.प्र.), क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट, **चर्तु:सीमा:** पूर्वः कॉलोनी रोड, पश्चिम: प्लॉट नंबर एस-22, उत्तर: प्लॉट नंबर एस-56, दक्षिण: संपत्ति का शेष भाग				

दिनांक : 22.11.2025 — हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : मध्यप्रदेश — वास्ते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Form No. IV
(See Sub Rule 2(a) of Rule 5)
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL
2nd & 3rd Floor, Sachar Vikas Bhawan, BSNL Building,
Near Head Post Office, South Civil Lines, Jabalpur (M.P.)
(Areas for Jurisdiction - Madhya Pradesh)
(Summon under Sub-Section (4) Section 19 of the Act, read with Sub-Rules 2A) of rule 5 of Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.
ORIGINAL APPLICATION NO. 1091/2025

Central Bank of India, — Applicant
VERSUS
Protein Kingdom & Others — Defendant
To,
1. **Protein Kingdom** Through its Proprietor Amira Sheikh
LG 2/3, Apollo Arcade, 1/2,Old Palasia, Near Palasia, Near Nafees, Indore (M.P.)
2. **Aamira Sheikh D/o Iqbal Ahmed Sheikh**
104, Vishnu Puri Main Road, Bhawarkua, District, Indore (M.P.)

Wheareas, OA No. 1091/2025 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 03.09.2025.
Whereas the Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act (OA) filed against you recovery of debts of **Rs. 20,34,608/-**. (Application along with copies of documents etc. annexed)
In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you the defendants are directed as under :-
1. To show case within thirty days of the service of the summons as to why relief prayed for should not be granted.
2. To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under Serial No. 3A of the original application.
3. You are restrained from dealing without disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under Serial No. 3A of the Original Application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
4. You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise. except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest created and /or other assets and properties specified or disclosed under Serial No. 3A of the Original Application without the prior approval of the Tribunal.
5. You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank of financial institutions holding security interest over such assets.
6. You are also directed to file the Written Statement with a copy there of furnished to the applicant and to appear **06.02.2026** at **11.00 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this **04th November 2025.**
SEAL — **Authorised Officer**
Debts Recovery Tribunal, Jabalpur

Form No. IV
(See Sub Rule 2(a) of Rule 5)
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL
2nd & 3rd Floor, Sachar Vikas Bhawan, BSNL Building,
Near Head Post Office, South Civil Lines, Jabalpur (M.P.)
(Areas for Jurisdiction - Madhya Pradesh)
(Summon under Sub-Section (4) Section 19 of the Act, read with Sub-Rules 2A) of rule 5 of Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.
ORIGINAL APPLICATION NO. 1093/2025

Central Bank of India, — Applicant
VERSUS
Samarth Enterprises & Others — Defendant
To,
1. **Samarth Enterprises** Through its Proprietor Mr. Ratandeep Agrawal
412/3, Mhow-Neemuch Road, Sector 01, Pithampur Dhar (M.P.) 454775
2. **Ratandeep Agrawal S/o Shri Madhusudan Agrawal**
Ward No. 09, Mhow-Neemuch Road, Pithampur, District Dhar (M.P.)

Wheareas, OA No. 1093/2025 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 03.09.2025.
Whereas the Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act (OA) filed against you recovery of debts of **Rs. 85,87,905.12/-**. (Application along with copies of documents etc. annexed)
In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you the defendants are directed as under :-
1. To show case within thirty days of the service of the summons as to why relief prayed for should not be granted.
2. To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under Serial No. 3A of the original application.
3. You are restrained from dealing without disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under Serial No. 3A of the Original Application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
4. You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise. except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest created and /or other assets and properties specified or disclosed under Serial No. 3A of the Original Application without the prior approval of the Tribunal.
5. You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank of financial institutions holding security interest over such assets.
6. You are also directed to file the Written Statement with a copy there of furnished to the applicant and to appear **06.02.2026** at **11.00 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this **04th November 2025.**
SEAL — **Authorised Officer**
Debts Recovery Tribunal, Jabalpur

Form No. IV
(See Sub Rule 2(a) of Rule 5)
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL
2nd & 3rd Floor, Sachar Vikas Bhawan, BSNL Building,
Near Head Post Office, South Civil Lines, Jabalpur (M.P.)
(Areas for Jurisdiction - Madhya Pradesh)
(Summon under Sub-Section (4) Section 19 of the Act, read with Sub-Rules 2A) of rule 5 of Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.
ORIGINAL APPLICATION NO. 1132/2025

Central Bank of India, — Applicant
VERSUS
Laxmi Enterprises & Others — Defendant
To,
1. **Laxmi Enterprises** Through its Proprietor Ms Diksha Agrawal
Pithampur Sector No. 1, District Dhar (M.P.)
2. **Diksha Agrawal D/o Shri Ratandeep Agrawal**
Ward No. 08, Vallabh Bhai Patel Marg, Pithampur, District Dhar (M.P.)

Wheareas, OA No. 1132/2025 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 03.09.2025.
Whereas the Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act (OA) filed against you recovery of debts of **Rs. 68,64,230.60/-**. (Application along with copies of documents etc. annexed)
In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you the defendants are directed as under :-
1. To show case within thirty days of the service of the summons as to why relief prayed for should not be granted.
2. To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under Serial No. 3A of the original application.
3. You are restrained from dealing without disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under Serial No. 3A of the Original Application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
4. You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise. except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest created and /or other assets and properties specified or disclosed under Serial No. 3A of the Original Application without the prior approval of the Tribunal.
5. You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank of financial institutions holding security interest over such assets.
6. You are also directed to file the Written Statement with a copy there of furnished to the applicant and to appear **06.02.2026** at **11.00 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this **04th November 2025.**
SEAL — **Authorised Officer**
Debts Recovery Tribunal, Jabalpur

Form No. IV
(See Sub Rule 2(a) of Rule 5)
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL
2nd & 3rd Floor, Sachar Vikas Bhawan, BSNL Building,
Near Head Post Office, South Civil Lines, Jabalpur (M.P.)
(Areas for Jurisdiction - Madhya Pradesh)
(Summon under Sub-Section (4) Section 19 of the Act, read with Sub-Rules 2A) of rule 5 of Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.
ORIGINAL APPLICATION NO. 1092/2025

Central Bank of India, — Applicant
VERSUS
Anwar Steels & Others — Defendant
To,
1. **Anwar Steels** Through its Proprietor Mr. Mohammad Ali Lohar
4, Hathipala, Champabagh, District Indore (M.P.)
2. **Mohammad Ali Lohar S/o Shri Anwar Hussain Lohar**
53, Champa Bagh, District Indore (M.P.)

Wheareas, OA No. 1092/2025 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 03.09.2025.
Whereas the Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act (OA) filed against you recovery of debts of **Rs. 50,60,582.22/-**. (Application along with copies of documents etc. annexed)
In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you the defendants are directed as under :-
1. To show case within thirty days of the service of the summons as to why relief prayed for should not be granted.
2. To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under Serial No. 3A of the original application.
3. You are restrained from dealing without disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under Serial No. 3A of the Original Application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
4. You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise. except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest created and /or other assets and properties specified or disclosed under Serial No. 3A of the Original Application without the prior approval of the Tribunal.
5. You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank of financial institutions holding security interest over such assets.
6. You are also directed to file the Written Statement with a copy there of furnished to the applicant and to appear **06.02.2026** at **11.00 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, this **04th November 2025.**
SEAL — **Authorised Officer**
Debts Recovery Tribunal, Jabalpur